

फर्द अहकाम

जयनारायण वनाम चानारायण

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, वस्सी
राजस्व वाद/प्राथना पत्र/मुकदमा नम्बर : 37/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम दिनांक आज्ञा
संख्या या कार्यवाही

29/7/24

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता एवं
अप्रार्थी वं 1 लगा 4 के अधिवक्ता उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता ने जबाब काउन्टर प्रार्थना
पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है
अप्रार्थी वं 5 लगा 10 के विरुद्ध मूल
वादपत्र में एक पक्षीय कार्यवाही अमल
में लाई जा चुकी है अतः इस प्रा.पत्र में
अप्रार्थी वं 5 लगा 10 के विरुद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रा.पत्र अस्थायी
निषेधाज्ञा पर बधल चुकी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का
अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता
की दौरान बधल जादिर तथ्यों पर
मनन करने के उपरान्त उचित लगभग
हुई उभयपक्षों को जरिये अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है
कि उभयपक्ष विवादित आराजी खलरा
नं. 458, 459, 460, 462, 462/2,
464/1, 467, 482, 490/1, 490/2,
490/3, 491, 492/1 कुल कितना 13
कुल रकबा 6.4362 हेक्टर स्थित
ग्राम रामपुरावाला प.ह. काशीपुरा भू-आ.ने.

न्यायालय : र

राजस्व वाद/प्राथना

दिनांक आज्ञा

या कार्यवाही

फर्द अहकाम

जयनप्रायण बनाम कानाराम

म न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

सख वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 37/2023

दिनांक आज्ञा	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------------	----------------------	-------------

देवगांव तह. तूंगा जि. जयपुर पर तौफैसला
वाद के मौका एवं रिकार्ड की अवस्थिति
बनाये रखे एवं मौके पर काश्र के
अतिरिक्त अन्य परिवर्तन नही करें।

पत्रावली जेसल कुमार होकर वाद
तकमील दाखिल दफ्तर है।

मना